प्रेस नोट
जनपद – संतकबीरनगर
दिनाँक 15.11.2025

थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए दहेज मृत्यु कारित करने के मामलें में वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक जनपद संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** के निर्देशन, अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सुशील कुमार सिंह*** के मार्गदर्शन, क्षेत्राधिकारी खलीलाबाद ***श्री अजय सिंह*** के पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली खलीलाबाद ***श्री पंकज कुमार पाण्डेय*** के नेतृत्व में गठित टीम द्वारा मु0अ0स0 1055/2025 धारा 80(2), 85 बीएनएस व 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम मे वांछित अभियुक्त सरफराज आलम पुत्र मो0 उमर निवासी मोहल्ला अंजान शहीद कस्बा मगहर थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर को उसके घर से गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

उक्त प्रकरण में दिनाँक 13.11.2025 को वादी श्री मोहम्मद आलम पुत्र अतीउल्लाह निवासी मोहल्ला अंजान शहीद कस्बा मगहर थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर द्वारा थाना कोतवाली खलीलाबाद पर उक्त अभियुक्त सहित कुल 07 लोगो के विरुद्ध वादी की पुत्री जिसकी शादी जनवरी 2025 में अभियुक्त सरफराज आलम पुत्र मो0 उमर उपरोक्त के साथ हुयी थी, को दहेज के लिए प्रताड़ित करने तथा प्रताड़ना से तंग आकर वादी की लड़की द्वारा आत्महत्या कर लेने के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र दिया गया था। प्राप्त प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना कोतवाली खलीलाबाद पर अभियोग पंजीकृत कर नियमानुसार आज दिनाँक 15.11.2025 को उक्त अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस बल का विवरणः- उ0नि0 श्री महेश्वर चौधरी, का0 योगेन्द्र यादव।

संतकबीरनगर पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए चोरी व गोवध निवारण अधि0 के मामले में वांछित 25000 रु0 के इनामिया अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** के निर्देशन, अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सुशील कुमार सिंह*** के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी खलीलाबाद ***श्री अजय सिंह*** के निकट पर्यवेक्षण में थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा मु00सं0 203/2024 धारा 379, 120बी भादवि व 3/5ए/8 गोवध निवारण अधिनियम से सम्बन्धित 25000/-रु0 के ईनामियां वांछित अभियुक्त अकबर पुत्र मो0 याकूब निवासी परदेशवा थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर को मगहर हाईवे काला गेट के पास से नियमानुसार आज दिनाँक 15.11.2025 को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण- विदित हो कि दिनाँक 15.03.2024 को वादी मुकदमा श्री महेंद्र कुमार चौधरी पुत्र स्व0 कृष्ण मोहन चौधरी निवासी शिवनगर कॉलोनी थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संत कबीर नगर के थाना कोतवाली खलीलाबाद पर बावत अज्ञात द्वारा दिनाँक 14.03.2024 को वादी की दो गायों को चोरी कर लेने के सम्बन्ध में दिये गये प्रार्थना पत्र के आधार पर मु0अ0सं0 203/2024 धारा 379 भादवि पंजीकृत किया गया था। दौरान विवेचना पुलिस द्वारा अभियोग से सम्बन्धित दो अदद चोरी की गाय मय पिकअप के अभियुक्त 1. तौफीक हुसैन पुत्र राजमुन निवासी परदेशवा थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संत कबीर नगर को मय चाकू के एचआरपीजी कॉलेज के पास हाईवे से गिरफ्तार किया गया तथा अभियुक्तगण 1. तौफीक हुसैन पुत्र राजमुन, 2. अकबर पुत्र याकूब, 3. असलम खान पुत्र याकूब, 4. आबिद अली पुत्र यासीन निवासीगण ग्राम परदेसवा थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संत कबीर नगर का नाम प्रकाश में आया। साक्ष्य संकलन के आधार पर अभियोग में सुसंगत धाराओं की बढ़ोतरी की गई। अभियोग उपरोक्त में शेष अभियुक्त गण के विरुद्ध आरोप पत्र दिनांक 11/12/2024 को प्रेषित की गयी तथा वांछित अभियुक्त अकबर पुत्र याकूब उपरोक्त के विरुद्ध आंशिक विवेचना प्रचलित थी तथा इसके उपर 25,000रु0 का ईनाम घोषित था।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरणः-

1. अकबर पुत्र मो0 याकूब निवासी परदेशवा थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम- प्रभारी निरीक्षक कोतवाली खलीलाबाद श्री पंकज कुमार पाण्डेय, चौकी प्रभारी मगहर उ0नि0 श्री मनीष जायसवाल, का0 प्रशान्त विक्रम सिंह, का0 विशाल कुमार सिंह, का0 कृष्णनारायण गोंड, का0 अनिल कुमार।

संतकबीरनगर पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए चोरी व गोवध निवारण अधिनियम के मामले में वांछित 25000 रु0 के इनामिया अभियुक्त को आज दिनाँक 15.11.2025 को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना करने के सम्बन्ध में अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर द्वारा दी गयी बाइट*

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर के निर्देशन में संतकबीरनगर पुलिस द्वार दबिश के दौरान 03 वारण्टी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** के निर्देशन में जनपद में वांछितों व न्यायालय में हाजिर न होने वाले अभियुक्तों के खिलाफ जारी गैर जमानतीय वारण्ट के तहत फरार चल रहे अभियुक्तों की गिरफ्तारी के क्रम में ***थाना मेंहदावल*** पुलिस द्वारा 02 वारण्टी नाम पता 01- देवेन्द्र मणि पुत्र चन्द्रशेखर निवासी विशुनपुर बागर, 02- सैय्यद पुत्र भोला उर्फ अली हुसैन निवासी कुड़वा थाना मेंहदावल जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

***गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण:**-* उ0नि0 श्री एखलाख अहमद, उ0नि0 श्री विनोद कुमार सिंह, का0 अक्षय राय, का0 धर्मेन्द्र यादव।

थाना बखिरा पुलिस द्वारा 01 वारण्टी नाम पता रामकुमार उर्फ राजकुमार पुत्र मेवालाल निवासी भक्ठी बेलदारी थाना बखिरा जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

***गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण:**-* उ0नि0 श्री रमेश चन्द्र, का0 जितेश कुमार।

शान्ति भंग (170/126/135 बीएनएसएस) में 06 अभियुक्त गिरफ्तार

थाना महुली पुलिस द्वारा 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।
थाना बखिरा पुलिस द्वारा 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 05 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

पीआरवी आफ द डे

पीआरवी 6886 द्वारा मारपीट में घायल 02 महिलाओं को भेजवाया गया अस्पताल– पीआरवी 6886 को थाना दुधारा क्षेत्रांतर्गत तिलजा से कालर द्वारा मारपीट में घायल 02 महिला (01.पुनिता पुत्री रमेश कुमार, 02.सुनीता पुत्री रमेश कुमार निवासीगण ग्राम तिलजा थाना दुधारा जनपद संतकबीरनगर) के सम्बन्ध में सूचना दिया, सूचना मिलते ही पीआरवी कर्मियो द्वारा त्वरित गति से घटनास्थल पर पहुँचकर मारपीट में घायल महिलाओं को ईलाज हेतु सीएचसी सेमरियावां भेजवाया गया। घटना के सम्बन्ध में थाना दुधारा को अवगत कराया गया। पीआरवी कर्मियों की सतर्कता व सूझबूझ से घटनास्थल पर तत्परता से पहुँचकर घायलों को ईलाज हेतु सीएचसी सेमरियावा भेजवाया गया। जिसकी स्थानीय व्यक्तियों द्वारा सराहना की गयी।
पीआरवी स्टाफ- हे0का0 राकेश कुमार, का0 अमित कुशवाहा, हो0चा0 परमेश्वर।

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 613 वाहनों से 7,41,000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया

आज दिनाँक 15.11.2025 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रों में बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 613 वाहनों से 7,41,000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया।